कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली

पत्रांक 2143 /अभिकरण, हाजीपुर दिनांक 1/11/13

प्रेषक,

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

प्रेषित,

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला जन शिकायत कोषांग,
वैशाली।

विषय :- **जिला पदाधिकारी के जनता दरबार के परिवाद पत्र श्री लालबाबू राय, पिता- श्री कपिलदेव राय, ग्राम- नयागॉव 28 टोला, पो0- नयागंज महनार, थाना- देसरी, जिला- वैशाली की बाकी राशि देने में टाल-मटोल करने के संबंध में।**

प्रसंगः- **पत्रांक 1524/जिला शिकायत, दिनांक 17.09.13 तथा जिला जन शिकायत कोषांग परिवाद सं0 3159/ दिनांक 12.09.13**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में श्री लालबाबू राय, ग्राम पंचायत नया गॉव (पूर्वी), प्रखण्ड- सहदेई बुजुर्ग के परिवाद पत्र में वर्णित सभी बिन्दुओं पर जांच किया गया। जांच प्रतिवेदन जो स्वतः स्पष्ट है।

अतएव जांच प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाती है।

अनुलग्नकः यथोक्त। ~~20 पृष्ठ~~

विश्वासभाजन

1/11/13

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

ज्ञापांक 2143 /अभिकरण, हाजीपुर दिनांक 1/11/13

प्रतिलिपिः उप विकास आयुक्त, वैशाली को सादर सूचनार्थ।

प्रतिलिपिः जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, वैशाली को सादर सूचनार्थ।

1/11/13

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली
लोकपाल, मनरेगा(वैशाली)

शिकायत संख्या– 37/13–14 के तथ्य एवं निष्कर्ष

दिनांक		अभ्युक्ति
01/11/13	यह शिकायत –पत्र श्री लालबाबू राय, पिता– श्री कपिलदेव राय, ग्राम– नया गॉव 28 टोला, पो0– नयागंज महनार, थाना– देसरी, ग्राम पंचायत– नया गॉव पूर्वी, प्रखण्ड– सहदेई बुजुर्ग, जिला– वैशाली के दिनांक 04.10.2013 के आवेदन पत्र पर अंकित किया गया था। शिकायत–पत्र में लगाये गये आरोप निम्न प्रकार है। मनरेगा योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत– नयागॉव (पूर्वी)कब्रिस्तान में पौधारोपण का कार्य चौदह माह करने पर मात्र तीन महीने का पैसा मिलने वो बाकी राशि देने में टाल– मटोल किये जाने के संबंध में है। शिकायतकर्त्ता के शिकायत–पत्र के संदर्भ में पंचायत रोजगार सेवक श्री प्रवीर कुमार, ग्राम पंचायत – नया गॉव पूर्वी से कारण पृच्छा की मांग की गयी। पंचायत रोजगार सेवक ने अपने कारण पृच्छा में बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार प्रत्येक परिवार को 100 दिन की रोजगार की गारंटी देता है। उन्होनें साथ ही यह भी बताया कि शिकायतकर्त्ता श्री लालबाबू राय को 100 दिन का रोजगार दिया जा चुका है। उन्होनें अपने कथन के समर्थन में एडवाइस की प्रतिलिपि भी संलग्न की है। कारण पृच्छा का अवलोकन किया गया। साथ संलग्न एडवाइस की प्रतिलिपि में 100 दिनों का विभिन्न तारीखों में पाँच वनपोषकों को मजदूरी का भुगतान किया गया है। योजना संख्या के साथ सभी सूचनाएँ अंकित थी। दूसरी ओर शिकायतकर्त्ता द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतएव दिनांक 20.10.2013 को मेरे द्वारा शिकायतकर्त्ता के पंचायत स्थित कार्य स्थल की जांच की गयी। शिकायतकर्त्ता के कार्य स्थल नया गंज, ग्राम स्थित कब्रिस्तान जो हाजीपुर से महनार मुख्य मार्ग के किनारे था, निरिक्षण किया गया। शिकायतकर्त्ता ने बताया कि उक्त कब्रिस्तान के अन्दर वृक्षारोपण की योजनाओं में मेरे द्वारा कार्य किया गया है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में एक स्पष्टीकरण दिया जिसमें बताया है कि जुलाई 2012 से अगस्त 2013 तक मैंने उक्त वृक्षारोपण की योजनाओं में पानी पटवन तथा कमैनी का कार्य किया हूँ। मजदूरी माँगने पर बीच–बीच में भुगतान मिलता रहा परन्तु बाकी राशि के भुगतान के लिए रोजगार सेवक एवं मुखिया हमेशा कहते थे, कि पैसा अभी नहीं है, आने पर मिल जायेगा। उन्होंने साथ ही यह भी बताया है कि मनरेगा अन्तर्गत 100 दिन ही काम करना है इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। उनके चौदह महीने कार्य किये जाने के संबंध में मेरे द्वारा कोई साक्ष्य मांगे जाने पर वे इसे प्रस्तुत नहीं कर पाये। मेरे द्वारा उक्त संबंध में कोई गवाही या किसी ग्रामीण द्वारा जानकारी उपलब्ध किये जाने संबंधी मांग पर उन्होने कहा कि कार्य स्थल गॉव के बाहर रोड किनारे स्थित है यहॉ ग्रामीण उपलब्ध नहीं है। शिकायतकर्त्ता कब्रिस्तान के बगल में ही एक दुकान में ले गये जो कब्रिस्तान की रखवाली करता था, परन्तु उस समय वह दुकान में मौजूद नहीं थे। कहीं बाहर गये हुए थे। उनके परिवार के सदस्यों ने केवल इतना बताया कि वे लोग शिकायतकर्त्ता को जानते है उन्होनें पौधों में पानी पटाने का कार्य किया है परन्तु कितना दिन किया है। यह मालूम नहीं है। कब्रिस्तान की चाहरदिवारी के अन्दर वृक्षारोपण योजनाओं की जानकारी ली गयी। कुल पाँच यूनिट पौधे लगाये गये थे। शिकायतकर्त्ता तथा मेरे द्वारा पौधो की गिनती की गयी। चाहरदिवारी के अन्दर कुल 546 पौधे जीवित थे। लगाये गये पौधो के	

अनुसार इनकी संख्या कम थी। शिकायतकर्त्ता को बताया गया कि यह कार्य अवैधानिक है।

शिकायतकर्त्ता द्वारा अपने कथन के संदर्भ में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जा सकें। किसी ग्रामीण द्वारा भी जानकारी नहीं दिलवायी जा सकी। मनरेगा योजना द्वारा उन्हें 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है तथा उक्त मजदूरी का भुगतान भी किया जा चुका है। जिसकी पुष्टि उनके पासबुक तथा उनके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण में भी अंकित हैं परन्तु शिकायतकर्त्ता द्वारा यह बताया जाना कि मनरेगा में 100 दिनों की ही मजदूरी के बारे में उन्हें पता नहीं है और 100 दिन पूरे होने के वाद भी काम करते रहे। यह पंचायत स्तर पर मजदूरों के बीच तालमेल तथा जानकारी का अभाव दर्शाता है।

दिनांक 28.10.13 को पंचायत रोजगार सेवक, श्री प्रवीर कुमार उपस्थित हुए। उन्होनें शिकायतकर्त्ता श्री लालबाबू राय के संबंधित अभिलेख से मस्टर रॉल की प्रति प्रस्तुत की। दिनांक 29.10.13 को शिकायतकर्त्ता के ग्रामीण श्री चन्द्रकेत राय उपस्थित हुए। उन्होंने मस्टर रॉल के सादे पन्ने पन्द्रह प्रति प्रस्तुत की तथा बताया गया कि उनके द्वारा भी उक्त वृक्षारोपण योजना में चौदह महीने कार्य किया गया है परन्तु 100 दिनों का ही मजदूरी मिल पाया है।

प्रतिवेदनों का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्त्ता एवं अन्य द्वारा चौदह महीने कार्य किये जाने कि शिकायत संबंधी कोई साक्ष्य तो नहीं मिल पाये है। 100 दिनों की मजदूरी का भुगतान भी उन लोगों को किया ही जा चुका है मगर मस्टर रॉल संधारण संबंधित अनेक कमियॉ पायी गयी है। पंचायत रोजगार सेवक द्वारा शिकायतकर्त्ता श्री लालबाबू राय के कार्य से संबंधित अभिलेख से मस्टर रॉल क्रम सं0 1774002, 1774003, 177004, 1279855 एवं 1279876 प्रस्तुत किये गये है। मगर एम0आई0एस0 की प्रविष्टियों में मस्टर रॉल की संख्या 1279307, 1279308, 1279197, 1279199, 1279200, 1015240 एवं 1015241 अंकित है।

अभिलेख से प्रस्तुत किये गये मस्टर रौल सं0 1279855 एवं 1279876 पर मजदूर श्री लालबाबू राय के हस्ताक्षर नहीं है।

शिकायतकर्त्ता के ग्रामीण श्री चन्द्रकेत राय द्वारा 15 सादे मस्टर रॉल की प्रतियॉ दी गयी है। जिसके क्रमांक 1774028 से 1774039, 1279739, 1774038 एवं 1774049 है।

उक्त कार्यावलोकन से कार्य का संपादन नियमानुसार नहीं किये जाने के संकेत मिलते है।

हस्ताक्षर

01/11/13

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।